

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय

कार्यालय धनबाद

सूचना/विज्ञापन 04/2024, दिनांक 27.11.2024

10 पारा लिगल वोलेंटियर के प्रशिक्षण हेतु सेवारत चिकित्सक/सेवानिवृत्त चिकित्सक, सेवारत शिक्षक/सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवारत सेना के जवान/सेवानिवृत्त सेना के जवान/ट्रान्सजेन्डर (किन्नर) से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक स्थानीय अभ्यर्थी निम्नांकित फॉर्म में स्व-हस्तलिखित/टंकित प्रारूप में आवेदन दें। प्रशिक्षण के लिए चयनित अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे विधि सेवा के तौर पर कार्य करें।

नोट:—वैसे उम्मीदवार जो अधिवक्ता हैं, उनका आवेदन पारा लिगल वोलेंटियर्स के पद के लिये स्वीकार्य नहीं होगा।

योग्यता:—

1. अभ्यर्थी का सेवारत चिकित्सक/सेवानिवृत्त चिकित्सक या सेवारत शिक्षक/सेवानिवृत्त शिक्षक या सेवारत सेना के जवान/सेवानिवृत्त सेना के जवान या ट्रान्सजेन्डर (किन्नर) होना आवश्यक है।
2. वैसे अभ्यर्थियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी जो पारा लिगल वोलेंटियर के कार्य को आर्थिक आय का स्रोत नहीं समझेंगे।

आवेदन कैसे करें।

1. आवेदन डाक या हाथों-हाथ दोनों माध्यम से स्वीकार की जाएगी तथा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में पारा लिगल वोलेंटियर के लिए आवेदन पत्र लिखा होना चाहिए।
2. आवेदन स्व-हस्तलिखित या टंकित प्रारूप में ही स्वीकार किये जाएंगे।
3. अपना दो अद्यतन पासपोर्ट साईज़ फोटो आवेदन के साथ समर्पित करें।
4. आवेदन निम्न पते पर भेजें:—

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय धनबाद। पिन:— 826001

आवेदन की अंतिम तिथि:— 03.12.2024

आवेदन का प्रारूप

1. नाम:— .....
2. पिता/पति का नाम:— .....
3. उम्र (विज्ञापन की तिथि के दिन) .....
4. लिंग:— .....
5. राष्ट्रियता:— .....
6. स्थायी पता:— .....
7. पत्राचार का पता (दूरभाष सं० के साथ) .....
8. ई-मेल:— .....
9. भौक्षणिक योग्यता:— .....
10. विशेष योग्यता:— .....
11. कोटि (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/सामान्य):— .....

यहाँ पर अपना  
अद्यतन पासपोर्ट  
साईज़ फोटो  
चिपकाएँ।

नोट:— उपरोक्त आवेदन पारा लिगल वोलेंटियर के प्रशिक्षण के लिए है न कि नियोजन के लिए। पी०एल०वी० के कार्य के लिए कोई वेतन, पारिश्रमिक या मजदूरी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा निर्धारित मानदेय के अलावा देय नहीं होगा।

दिनांक .....  
स्थान .....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

आदेशानुसार  
सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, धनबाद।